

2021

429

बपावी

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रा.पत्र	351 2021	15/12/21	बपावी खेड़ा उर्फ तुलावपुरा (ला.कंला)			

अनवान

श्री राज मल पिता ला. जाट बनाम श्री राज. सरवर्क
 निवासी बपावी खेड़ा



रिपोर्ट पटवारी/गू.अ. निरीक्षक

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम राणीखेड़ा के गुलाबपुर की जमाबंदी सेक्ट 2014-2017 की रकबा में खालेदार का नाम राजु पुत्र लाडू जाट रजिस्टर्ड है। प्रार्थी खालेदार राजमल पुत्र लाडू जाट राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम की सुद्वि कराना चाहते हैं। उक्त क्रम में प्रार्थी खालेदार ने स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। उक्त के आधार पर राजु पुत्र लाडू जाट के बजाय राजमल पुत्र लाडू जाट की सुद्वि किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।
जो रजिस्ट्री में आवेक राजु का रिपोर्ट ICCT के नाम है। प्रार्थी राजमल पुत्र लाडू जाट के पटवारी/गू.अ.नि. के नाम है।
पटवारी/गू.अ.नि. 28/11/21
रिपोर्ट तहसीलदार

महोदय,
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पटवारी/गू.अ.नि. की उपरोक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के खाते में विधानानुसार सुद्वि किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
राजस्व ग्राम राणीखेड़ा 35 प.ह. लाठकली जमाबन्दी सम्वत् 2014-77 खाता सं. 07
कुल किता 13 कुल रकबा 8.2015

वर्तमान प्रविष्टि राजु पुत्र लाडू जाट

प्रस्तावित शुद्ध प्रविष्टि राजमल पुत्र लाडू जाट

नोट-राजु का रिस्टा ICCT से रजन मुफ्त होने पर जमाकरण की कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार (गू.अ.)
तहसीलदार बनेडा
बनेडा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021, कैम्प

दिनांक 23/11/21

आदेश

तहसीलदार बनेडा का रिपोर्ट उक्त क्रम में सुद्वि कराना उचित नहीं है।
रजन देने से नाम सुद्वि नहीं की जा सकती है।
शिविर प्रमारी
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
जिला भीलवाड़ा